संख्या-19/2025/940/18-2-2025-18-2002/5/2022

प्रेषक

पुष्पेंद्र सिहं
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग2 लखनऊ: दिनांक: 11 जुलाई, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अयोध्या में सीपेट केन्द्र की स्थापना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-25/उ0वि0अनु0-9/प्रसार केन्द्र/2025-26, दिनांक 08-7-2025 व शासनादेश संख्या-36/2022/352/18-2-2022-23(ल0उ0)/2020, दिनांक 28-10-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या में सीपेट केन्द्र की स्थापना हेतु वृहत निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 798.99 लाख (रूपये सात करोड़ अट्ठानवे लाख निन्यानवे हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन निर्गत किये जाने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपर्युक्त निर्माण कार्य को कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा यदि लागत में वृद्धि होती है तो उसे निर्माण एजेन्सी द्वारा अपने श्रोतों से वहन किया जायेगा। प्रस्तावित निर्माण कार्य के ब्योरेवार नक्शे और अनुमान तैयार करके विस्तृत आगणन पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। निर्माण कार्य समयबद्वता से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिया किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर प्रधान निदेशक, इन्सटीट्यूट आफ प्लास्टिक्स टेक्नालाजी, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, अयोध्या को उपलब्ध करायी जायेगी एवं संस्थान द्वारा उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जांय।

(5) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रधान निदेशक, इन्सटीट्यूट आफ प्लास्टिक्स टेक्नालाजी, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, अयोध्या की होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(6) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 या डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) प्रधान निदेशक, इन्सटीट्यूट आफ प्लास्टिक्स टेक्नालाजी, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, अयोध्या यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(9) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना लागत की अवशेष 5 प्रतिशत धनराशि प्रायोजना के पूर्ण होने एवं उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त स्वीकृत की जायेगी।

2- उपरोक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी जारी शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार होने वाले व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 पर नियमित रूप से शासन के सम्बन्धित अनुभागों को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपरोक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय अनुदान संख्या-3 के लेखाशीर्षक "4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-102-लघु उद्योग-05-अयोध्या में सीपेट केन्द्र-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

पुष्पेंद्र सिहं
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- प्रधान निदेशक, इन्सटीट्यूट आफ प्लास्टिक्स टेक्नालाजी, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, अयोध्या ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं साख्यिकीय निदेशालय, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/2 (गार्ड फाइल)।

आज्ञा से

पुष्पेंद्र सिहं
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in